सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

“डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) चेयर” तथा “डॉ अम्बेडकर चेयर को डीएएफ द्वारा प्रदान की गई सहायता का आकलन करने के लिए” मूल्यांकन अध्ययन हेतु

ई-निविदा आमंत्रण नोटिस संबंधी सूचना ज्ञापन

डॉ. अम्बेडकर पीठ स्कीमः

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर संबंधी शताब्दी समारोह समिति ने डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों को चलाने तथा देश–विदेशों में सामाजिक न्याय के उनके संदेश को फैलाने के लिए डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना करने का निर्णय लिया। भारत सरकार द्वारा डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में 24 मार्च, 1992 को कल्याण मंत्रालय (वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान के अंतर्गत की गई थी।

वर्ष 1992 में, शिक्षा संबंधी एक उप–समिति की डॉ. बी. आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति की स्थापना की गई थी जिसने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में "डॉ. अम्बेडकर चेयर" की विषय–वार स्थापना करने हेतु एक स्कीम की सिफारिश की थी।

स्कीम का उद्देश्य

☐ विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में डॉ. अम्बेडकर चेयर की स्थापना संबंधी स्कीम भारत के इस महान सपूत के लिए सच्ची श्रृद्धांजलि है तथा बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की वर्तमान प्रासंगिकता का अध्ययन करने के लिए यथोचित है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं:–

☐ प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के उन्नत केन्द्र उपलब्ध करवाना जिनमें शिक्षाविद, विद्वान तथा छात्र उन्नत अध्ययनों की शिक्षा प्राप्त करेंगे तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों तथा भावनाओं को समझने, मूल्यांकन, प्रचार–प्रसार तथा कार्यान्वयन के लिए शोध कार्य करेंगे।

☐ शोध कार्य करना तथा अध्ययन के इस विचार में, विशेषकर अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, धार्मिक अध्ययन, दर्शन, संवैधानिक अध्ययन, शिक्षा, मानविकीशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, विधि, मानव संसाधन संबंधी संकायों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथोचित समझी गई अन्य शाखाओं में ज्ञान को आगे बढाने में योगदान करना।

☐ भारतीय समाज के लाभवंचित वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए वर्तमान तथा प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति शोध तथा शिक्षा उपलब्ध कराना। संबंधित शाखाओं में शोध तथा शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों का डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान तथा संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा।

☐ समाज के लाभवंचित/दलित समूह अथवा पिछड़ा वर्ग अथवा कमजोर श्रेणी के सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा जैविक पहलुओं के संबंध शोध एवं उच्च अध्ययन का आयोजन करना।

☐ यूजीसी–सीएआरई सूची से पियर समीक्षागत सूची की पत्रिकाओं के ज्ञान संपन्न स्तंभ सामग्री तथा विख्यात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा एक सुदृढ़ पियर समीक्षागत नीति वाली प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित शोध कार्यों के परिणाम को प्रकाशित करना।

☐ डॉ. अम्बेडकर के न्याय तथा सशक्तिकरण संबंधी विचारों को व्यवहारिक स्तर पर उतारने तथा भारतीय जनसंख्या के लाभवंचित वर्गों के उत्थान हेतु नीति दस्तावेज हेतु समुचित कार्यपद्धतियों का विकास करना।

तारीख एवं समय सारिणी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः

क्र.सं.	विवरण	तारीख तथा समय
1	ईओआई का प्रकाशन	26.06.2024 को 1000 बजे तक
2	प्री–बिड बैठक	08.07.2024 को 1000 बजे तक
3	ईओआई भेजे जाने की शुरूआत की तारीख और समय	26.06.2024 को 1000 बजे तक
4	ईओआई भेजे जाने की अंतिम तारीख और समय	26.07.2024 को 1700 बजे तक

अधिक जानकारी और रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए, कृपया **https://ambedkarfoundation.nic.in/** और **https://gem.gov.in/** को देखें।

10 x 12

CBC 38101/11/0003/2425